प्रेस नोट इटावा पुलिस दिनांक- 13.08.2024

#OPERATION CONVICTION

इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते सगी बहनों की हत्या करने वाली अभियुक्ता को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी तथा 10,000/- रूपये का दिया गया अर्थदंड।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में थाना बलरई व मानीटरिंग / पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते सगी बहनों की हत्या करने वाली अभियुक्ता को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी तथा 10,000/- रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया।

संक्षिप्त विवरणः-

वादी जयवीर सिंह पाल पुत्र बारे लाल निवासी ग्राम बहादुरपुर द्वारा थाना बलरई पर सूचना दी गयी कि दिनांक 08.10.2023 को समय लगभग 06.00 बजे सांय जब वह अपने खेत पर काम कर रहा था उसी दौरान अज्ञात द्वारा उसकी बेटी सिल्पी उम्र 07 वर्ष एवं रोशनी उम्र 05 वर्ष के गले पर चोट पहुंचाकर हत्या कर दी गयी। सूचना का पुलिस महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, अपर पुलिस अधीक्षक नगर, अपर पुलिस अधीक्षक अपराध इटावा एवं क्षेत्राधिकारी जसवंतनगर द्वारा जोनल/ जनपदीय फोरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बलरई पर **मु0अ0सं0 25/2023 धारा 302 भादवि बनाम अज्ञात** पंजीकृत कर घटना के शीघ्र अनावरण हेतु एसओजी/सर्विलान्स व थाना बलरई से पुलिस टीम का गठन किया गया जिसके क्रम मे दिनांक 09.10.2023 को पुलिस टीम द्वारा मृत बालिकाओं की हत्या करने वाली उनकी बडी बहन को गिरफ्तार किया गया था।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी निरीक्षक श्री अनिलमणि त्रिपाठी प्रभारी थाना बलरई द्वारा दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्ता के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन में प्रकरण की प्रभावी पैरवी कराते हुए थाना बलरई पुलिस टीम, पैरोकार का0 थान सिंह एवं मानीटरिंग सैल व डीजीसी श्री शिव कुमार शुक्ल द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समयानुसार समस्त गवाहों व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरुप उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्ता को **आज दिनांक 13.08.2024 को अन्तर्गत धारा 302 भादवि में मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायालय इटावा द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी तथा 10,000/- रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया।**

सजायाफ्ता अपराधी-

1. **अंजली उर्फ अन्जु पुत्र जयवीर सिंह निवासी बहादुरपुर थाना बलरई जनपद इटावा।**